राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

इंस्टाग्राम तक पहुंचा विराट और रोहित का विवाद

>> 12

वर्ष 3 अंक 47

# दैनिक जागरण

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 27 जुलाई 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

## सरोकार

### सहजन के पेड़ के सहारे जंग लड़ रही बड़ी आबादी

**महराजगंज** : उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले महराजगंज जिले में सहजन के सहारे स्वास्थ्य विषयक लक्ष्य हासिल करने का प्रेरक प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्र के 33 गांवों में घर-घर में सहजन के वृक्ष लहलहा रहे हैं। (पेज-13)

## जागरण विशेष

### पानी, पानीपूरी, पंचायत और पाठशाला ने कर दिया कमाल

**कानपुर** : उत्तर प्रदेश के जालौन का इटौरा अकबरपुर गांव ग्राम स्वावलंबन का प्रेरक उदाहरण बनकर सामने है। ग्राम प्रधान की सोच और ग्रामीणों के सहयोग से विकास की राह पर रफ्तार भर रहे इस गांव का डंका देश दुनिया में बज रहा है। मिल चुके हैं अनेक पुरस्कार। (पेज-13)

## न्यूज गैलरी

**राज-नीति** ▶ पृष्ठ 3

### विधेयक 'जल्दबाजी' में पास कराने पर विपक्ष को ऐतराज

**नई दिल्ली** : राज्यसभा में भारी विरोध के बाद भी आरटीआइ विधेयक पारित होने के झटके से उबरने में जुटे विपक्ष ने सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया है। विपक्ष की अलग-अलग पार्टियों से जुड़े 17 सांसदों ने शुक्रवार को सरकार की 'जल्दबाजी' पर आपत्ति जताते हुए सभापति को चिट्ठी लिखी है।

**आजकल** ▶ पृष्ठ 14

### चांद के और करीब पहुंचा चंद्रयान-2

**बेंगलुरु** : चंद्रयान-2 उपग्रह गुरुवार की रात सफलतापूर्वक चंद्रमा की तरफ और एक कदम बढ़ गया। अंतरिक्षयान पर लगे प्रणोदन प्रणाली के जरिए गुरुवार-शुक्रवार की रात एक बजकर आठ मिनट पर दूसरी बार उपग्रह की कक्षा को बदलते हुए उसे सफलतापूर्वक पृथ्वी की अगली कक्षा में प्रवेश कराया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बताया कि कक्षा बदलने की यह प्रक्रिया लगभग 15 मिनट तक चली।

# अमेरिका ने रोका क्रिकेटर शमी का वीजा

**अभिषेक त्रिपाठी, नई दिल्ली**

**एक्सक्लूसिव**

▶ **बीसीसीआइ के बीच में पड़ने के बाद मिला शमी को वीजा, भारत को फ्लोरिडा में खेलने हैं दो टी-20 मुकाबले**

भारतीय क्रिकेटर मुहम्मद शमी पर चल रहे पुलिस केस उनकी मुसीबत बन गए और इस कारण अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से मना कर दिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के सीईओ राहुल जौहरी के दखल के बाद उन्हें वीजा मिल सका। वह अब अमेरिका और उसके बाद वहां से वेस्टइंडीज जा सकेंगे। शमी वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे और टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा हैं।

भारतीय टीम को वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड की मेजबानी में तीन टी-20, तीन वनडे और दो टेस्ट मैच खेलने हैं। इसमें दो टी-20 तीन व चार अगस्त को अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के लॉडरहिल शहर के सेंट्रल ब्रोवर्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड में होंगे। वहीं तीसरा टी-20 छह अगस्त और पहला वनडे आठ अगस्त को गुयाना में खेला जाना है। दूसरा वनडे 11 अगस्त और तीसरा वनडे 14 अगस्त को त्रिनिदाद एवं टोबैगो में खेला जाएगा। पहला टेस्ट 22 से 26 अगस्त तक एंटीगा तो दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से तीन सितंबर तक जमैका में आयोजित होगा।

मुहम्मद शमी — फाइल फोटो

बीसीसीआइ की तरफ से भारत के खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के वीजा का आवेदन मुंबई स्थित अमेरिकन वाणिज्यिक दूतावास में दिया गया था। मुहम्मद शमी वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में नहीं हैं। वह वनडे और टेस्ट टीम के सदस्य हैं लेकिन उन्हें भी अमेरिका होते हुए ही वेस्टइंडीज जाना है। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली, उप कप्तान रोहित शर्मा और कोच रवि शास्त्री के पास पहले से ही 10 साल का अमेरिका का वीजा है। बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने कहा कि जिन खिलाड़ियों के पास अमेरिका का वीजा नहीं था, उनके लिए हमने पी-1 वीजा कैटेगरी में आवेदन दिया था। आप अगर कोई अंतरराष्ट्रीय खेल टीम के सदस्य हैं तो आपको अमेरिका के लिए शॉर्ट टर्म वीजा मिलता है। भारतीय दल की तरफ से जितने भी आवेदन दिए गए थे, उनमें शमी को छोड़कर बाकी सबको पहली बार में वीजा मिल गया। शमी के खिलाफ केस चल रहे हैं इस कारण अमेरिका ने उनका वीजा रोक दिया था। मालूम हो कि पत्नी हसीन जहां ने शमी के खिलाफ केस कर रखा है और यह मुकदमा अभी लंबित है। बीसीसीआइ के सीईओ राहुल जौहरी ने इसके बाद मामले में दखल दिया और बीसीसीआइ की तरफ से अतिरिक्त कागजात अमेरिकन वाणिज्यिक दूतावास में जमा कराए गए जिसके बाद शमी को वीजा मिल सका। हालांकि इस मसले पर जौहरी से बात नहीं हो सकी।

## कारगिल के शहीदों को सलाम

कारगिल में ऑपरेशन विजय की सफलता के 20 साल पूरे होने पर शुक्रवार को द्रास स्थित वार मेमोरियल में थल सेना प्रमुख बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ और एडमिरल कर्मवीर सिंह ने शहीदों को सलामी दी। (खबर पेज-6 पर) जागरण

# आजम पर लटकी निलंबन की तलवार

**सख्त रुख** ▶ सदन में सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो कार्रवाई निश्चित

### आजम से सोमवार को स्पीकर के सामने पेश होकर माफी मांगने को कहा गया

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

लोकसभा में शुक्रवार को दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए सदस्यों ने भाजपा सांसद रमा देवी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सपा सांसद आजम खां के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सदस्यों ने एकराय से आजम खां के बयान की निंदा करते हुए कार्रवाई का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर छोड़ दिया। स्पीकर ने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक के बाद आजम को बचाव का एक मौका देने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक आजम को सोमवार को स्पीकर के सामने पेशकर होकर माफी मांगने की सूचना भी दे दी गई है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो फिर निलंबन तय है। यह निलंबन इस सत्र के बचे हुए दिनों के लिए हो सकता है। हालांकि कुछ नेता सपा नेता के खिलाफ और सख्त कार्रवाई के पक्ष में हैं।

लोकसभा में गुरुवार को तीन तलाक विधेयक पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष के आसन पर बैठीं रमा देवी ने आजम से चेयर की तरफ देखकर बोलने को कहा था। इस पर आजम ने रमा देवी की तरफ मुड़ते हुए ऐसी अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसे सुनकर सभी सदस्य स्तब्ध रह गए थे। तत्काल उस पर विरोध जताया गया और आजम से माफी मांगने की मांग की गई, लेकिन उन्होंने माफी मांगने की बजाय सदन से बाहर जाना ज्यादा वाजिब समझा था। बगल में बैठे अखिलेश ने भी अपने नेता का बचाव किया था।

सपा सांसद आजम खां (टीवी ग्रैब)। एएनआइ

शुक्रवार को सदन में फिर से यह मुद्दा उठा। भाजपा की संघमित्रा मौर्या ने प्रस्ताव किया कि आजम खां सदन में आकर माफी मांगें। फिर तो भाजपा समेत कांग्रेस, राकांपा, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और बीजद समेत हर दल के नेताओं ने एक-एक कर आजम को कठघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। बीजद के भतृहरि माहताब ने आजम के बयान को अक्षम्य बताते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यह विषय केवल महिलाओं का नहीं है। हम मूकदर्शक नहीं बने रह सकते। सभी दलों को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए जिससे ऐसा संदेश जाए कि कोई सदस्य किसी का अपमान करके बच नहीं सकता है। ईरानी ने आजम का समर्थन करने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी निंदा की।

समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान पुरुषों समेत सदन के सभी सदस्यों पर एक धब्बा है। अगर आजम खां ने यह टिप्पणी संसद के बाहर की होती तो महिला के बचाव में पुलिस आ गई होती। **-स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री**

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आजम अगर माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने आजम को सीरियल आफेंडर (बार-बार गलती करने वाला) बताया। उन्होंने कहा कि आजम सदन के बाहर भी महिलाओं का अपमान करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें हैरानी है कि इस मुद्दे पर एक स्टैंड लेने में 'दुविधा' और 'संकोच' क्यों है।

तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा कि जो व्यक्ति महिलाओं की इज्जत नहीं करता उसे भारतीय संस्कृति का पता नहीं। अभिनेत्री से तृणमूल नेत्री बनी मिमी चक्रवर्ती ने कहा कि गुरुवार को सदन में जो कुछ भी हुआ वह बहुत शर्मनाक था।

राकांपा की सुप्रिया सुले ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि आजम की अपमानजनक भाषा से उनका सिर शर्म से झुक गया। जदयू के लल्लन सिंह ने कहा कि स्पीकर को आजम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में दोबारा कोई इस तरह की टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं करे। वहीं, द्रमुक की कनीमोरी ने हैरानी जताते हुए कहा कि जब महिलाओं का संसद में अपमान हो रहा है तो सदन के बाहर उनके साथ क्या होता होगा। केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आजम खां के बयान से पूरा देश शर्मसार है।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि आजम खां के शब्द द्विअर्थी थे और वह इस तरह की भाषा संसद के बाहर भी बोलते रहते हैं। इस पूरी चर्चा के दौरान सदन में न तो आजम थे और न ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, लेकिन सदन के क्षोभ को देखते हुए अध्यक्ष ने सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि आजम खां को माफी मांगने का एक मौका दिया जाएगा। अगर वह माफी नहीं मांगते हैं तो अध्यक्ष जो चाहें वह कार्रवाई होगी।

...लेकिन राजनीति भी हुई पेज>>5

# मानेसर जमीन घोटाले में 67 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

▶ **अधिग्रहण का डर दिखाकर किसानों को सस्ते में जमीन बेचने के लिए किया गया था मजबूर**

▶ **हुड्डा सरकार में हुए घोटाले में अब तक 100 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है ईडी**

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में हुए मानेसर जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 67 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। आरोप है कि किसानों को जमीन अधिग्रहण का डर दिखाकर औने-पौने दाम में जमीन बेचने को मजबूर किया गया था। इस क्रम में बिल्डरों को गलत तरीके से 1500 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया था। माना जा रहा है कि गुरुवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा से चंडीगढ़ में ईडी ने इस मामले में भी पूछताछ की है।

ईडी के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को महामाया एक्सपोर्ट्स की 14.56 एकड़ जमीन जब्त की गई, जिसका बाजार भाव 43.54 करोड़ रुपये आंका गया है। इसके अलावा अन्य आरोपी अतुल बंसल की कंपनी एबीडब्ल्यूआइएल की 23.03 करोड़ की चार एकड़ जमीन और बैंक खाते में जमा धन को जब्त किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर जमीन एबीडब्ल्यूआइएल ने खरीदी थी। इसके पहले भी ईडी इस घोटाले के आरोपियों की 42.19 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुका है। घोटाले में अब तक 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।

आरोप है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दौरान 27 अगस्त 2004 को मानेसर में मॉडल औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई। इसके लिए 912 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना था। अधिग्रहण की जद में मानेसर के नौरंगपुर और लखनौला गांव की 688 एकड़ जमीन भी आ गई। अधिग्रहण का भय दिखाकर बिल्डरों ने किसानों की 400 एकड़ जमीन औने-पौने दामों में खरीद ली। उस समय जमीन की कीमत लगभग चार करोड़ रुपये प्रति एकड़ थी। इस तरह से किसानों से 1600 करोड़ रुपये की जमीन 100 करोड़ में हथिया ली गई थी। 24 अगस्त 2007 को हरियाणा सरकार ने अचानक अधिग्रहण की अधिसूचना वापस ले ली, लेकिन तब तक जमीन पर बिल्डरों का कब्जा हो चुका था। हरियाणा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। (पेज-5 भी देखें)

### विमान घोटाले में दीपक तलवार गिरफ्तार, सात दिन के रिमांड पर

**नई दिल्ली** : विमान घोटाले में कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार की अग्रिम जमानत याचिका राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने खारिज कर दी, जिसके बाद अदालत में ही सीबीआइ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश कर जांच एजेंसी ने उसकी 14 दिन की हिरासत मांगी, लेकिन सात दिन की ही मिली। (पेज-3)

# औद्योगिक प्रदूषण में दिल्ली नंबर दो पर

**संजीव गुप्ता, नई दिल्ली**

▶ **पांच सालों के दौरान 20 प्वाइंट बढ़ा औद्योगिक प्रदूषण**

▶ **महाराष्ट्र का तारापुर पहले नंबर पर, गुरुग्राम नौवें, पानीपत 11वें नंबर पर**

राष्ट्रीय राजधानी में औद्योगिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। स्थिति यह है कि दिल्ली का सीईपीआइ (कांप्रिहेंसिव एनवायरनमेंट पॉल्यूशन इंडेक्स) बीते पांच सालों में 20 प्वाइंट तक बढ़ गया है, जिससे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रैंकिंग में औद्योगिक प्रदूषण के मामले में यह देश में दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र का तारापुर पहले नंबर पर तो हरियाणा का गुरुग्राम नौवें और पानीपत ग्यारहवें स्थान पर है। दिल्ली को यह रैंकिंग नजफगढ़ ड्रेन बेसिन के आधार पर दी गई है। इनमें आनंद पर्वत, नारायणा, ओखला और वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल हैं।

सीपीसीबी द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को दी गई रैंकिंग रिपोर्ट के मुताबिक 2013 और 2018 के दौरान 100 शहरों के सीईपीआइ स्कोर में काफी बदलाव आया है। नजफगढ़ बेसिन का प्रदूषण स्कोर 2013 में 73.43 प्वाइंट पर था, जो 2018 में बढ़कर 93.69 हो गया है। मालूम हो कि सीईपीआइ स्कोर में हवा, पानी और मिट्टी के प्रदूषण का आकलन किया जाता है। 2018 में इन सब औद्योगिक क्षेत्र में हवा में प्रदूषण 72, पानी में 89 और मिट्टी में 59.25 प्वाइंट रहा है।

**एनसीआर के इन जिलों में स्थिति चिंताजनक** : रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम 2018 में नौवें पायदान पर रहा है। यहां का प्रदूषण स्कोर 85.15 रहा है। 2013 में यह शहर इस सूची में शामिल नहीं था। भिवाड़ी का प्रदूषण स्कोर इस दौरान 9 प्वाइंट बढ़ा है। 2013 में यह स्कोर 70.63 था, जो 2018 में बढ़कर 79.63 हो गया है। गाजियाबाद में 2013 में 68.71 था, जो अब बढ़कर 72.30 हो गया है। पानीपत का स्कोर 83.54 है और यह 11वें पायदान पर है।

**फरीदाबाद व नोएडा में हुआ सुधार:** दूसरी तरफ इन पांच सालों में फरीदाबाद में काफी सुधार देखने को मिला है। फरीदाबाद का प्रदूषण स्कोर 11.38 प्वाइंट सुधरा है। 2013 में यहां का प्रदूषण स्कोर 73.55 था, जो 2018 में 62.17 रह गया है। इसी तरह नोएडा के प्रदूषण स्कोर में भी 9.93 प्वाइंट का सुधार हुआ है। 2013 में यहां का स्कोर 78.69 था जो अब कम होकर 68.76 रह गया है।

**यह हैं सीईपीआइ के मानक** : सीपीसीबी के अनुसार जहां सीईपीआइ स्कोर 70 प्वाइंट या इससे अधिक है, उन्हें क्रिटिकल पॉल्यूटेड एरिया, जहां 60 से 70 फीसद तक है, उन्हें गंभीर प्रदूषित क्षेत्र और जहां स्कोर 60 से नीचे है उन्हें अन्य प्रदूषित क्षेत्रों में रखा गया है। इसी रिपोर्ट के आलोक में एनजीटी ने हाल ही में आदेश दिए हैं कि क्रिटिकल पॉल्यूटेड एरिया और गंभीर प्रदूषित क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों को बसाने और पुरानी इकाइयों के विस्तार को मंजूरी न दी जाए। साथ ही इन क्षेत्रों में जो औद्योगिक इकाइयां प्रदूषण फैला रही हैं, उन्हें जल्द से जल्द बंद किया जाए।

## अब सीबीआइ ने तृणमूल सांसद डेरेक ओ'ब्रायन को किया तलब

**जागरण संवाददाता, कोलकाता** : सारधा चिटफंड घोटाले की जांच में जुटी सीबीआइ ने अब तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्राइन को तलब किया है। उन्हें अगस्त के प्रथम सप्ताह में पूछताछ के लिए सीजीओ कांप्लेक्स में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार दुर्गापूजा से पहले ही सीबीआइ सारधा कांड की चार्जशीट सौंपने की तैयारी कर रही है। इसी वजह से सत्ताधारी नेताओं और पुलिस अफसरों से पूछताछ में तेजी लानी शुरू कर दी है। सीबीआइ ने इससे पहले भी पूछताछ के लिए डेरेक को तलब किया था, लेकिन संसद चलने की वजह से उन्होंने हाजिर होने में असमर्थता जताई थी। इसके बाद एक बार फिर शुक्रवार को सीबीआइ ने तृणमूल सांसद डेरेक ओ'ब्रायन को नोटिस भेजकर तलब किया है। तृणमूल नेता दिनेश त्रिवेदी व तमोनाश घोष को भी नोटिस भेजा गया है। इन सभी से सारधा के साथ आर्थिक लेनदेन हुआ था कि नहीं आदि सवालों के जवाब लिए जाएंगे।

# येदियुरप्पा चौथी बार बने कर्नाटक के सीएम

▶ **बहुमत साबित करने के लिए मिला 31 जुलाई तक समय**

**बेंगलुरु, एजेंसियां** : कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा (76) ने शुक्रवार को राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली। वह चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल ने उन्हें 31 जुलाई तक बहुमत साबित करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली 14 माह पुरानी जदएस-कांग्रेस गठबंधन सरकार विधानसभा में विश्वास मत हार गई थी।

जदएस-कांग्रेस के बागी विधायकों के भविष्य पर अनिश्चितता के चलते गुरुवार शाम तक भाजपा सरकार बनाने का दावा पेश करने से बच रही थी, लेकिन गुरुवार रात स्पीकर रमेश कुमार ने दो बागी कांग्रेस विधायकों और एक निर्दलीय को अयोग्य ठहरा दिया। इसके बाद शुक्रवार सुबह भाजपा ने अचानक सरकार बनाने का फैसला किया। येदियुरप्पा के मुताबिक, उन्होंने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर राज्यपाल वजुभाई वाला से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल से शुक्रवार को ही शपथ दिलाने का आग्रह किया। राज्यपाल ने येदियुरप्पा को अकेले ही शपथ दिलाई, उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को बहुमत साबित करने के बाद शपथ दिलाई जाएगी। जदएस और कांग्रेस ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया, यहां तक कि कुमारस्वामी भी समारोह में शामिल नहीं हुए। समारोह में अन्य गणमान्य लोगों के साथ-साथ पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा, भाजपा महासचिव वी. मुरलीधर राव आदि शामिल थे।

कर्नाटक में हफ्तों चले सियासी 'नाटक' के बाद बीएस येदियुरप्पा ने सीएम की कुर्सी पा ही ली। बेंगलुरु में शुक्रवार को राज्यपाल वेजुभाई वाला (दाएं) ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। प्रेट्र

बता दें कि येदियुरप्पा ने पहली बार 2007 में राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाला था, लेकिन जदएस के समर्थन वापस लेने से सिर्फ सात दिन ही पद पर रहे थे। इसके बाद वह मई 2008 से जुलाई 2011 तक मुख्यमंत्री रहे, तब उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पद से इस्तीफा देना पड़ा था। पिछले साल विधानसभा चुनावों के बाद भी उन्होंने सीएम पद संभाला था, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण तीन दिन बाद ही इस्तीफा देना पड़ा था।

> बीएस येदियुरप्पा को बधाई। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व और पीएम मोदी के मार्गदर्शन में भाजपा राज्य में स्थिर, किसान हितैषी और विकासोन्मुखी सरकार देगी। **- अमित शाह**, भाजपा अध्यक्ष

कुमारस्वामी के आदेशों पर लगाई रोक पेज>>3

## चिट्ठी वार

उन्मादी भीड़ की हिंसा पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने वाली 49 हस्तियों को दी नसीहत, उनके पत्र की भावना को बताया चुनिंदा आक्रोश और झूठी धारणा, कहा, उनका स्पष्ट राजनीतिक एजेंडा है और वे राजनीति पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं

# 61 हस्तियों का पलटवार-देश को बदनाम न करें बुद्धिजीवी

**मुंबई, प्रेट्र** : उन्मादी भीड़ की हिंसा के खिलाफ तीन दिन पहले कुछ बुद्धिजीवियों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र के जवाब में शुक्रवार को 61 जानी-मानी हस्तियों ने भी पत्र लिखा और दुष्प्रचार करने वालों पर जमकर हमला बोला। बता दें कि 23 जुलाई को 49 बुद्धिजीवियों ने मोदी सरकार में हो रही उन्मादी हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था।

61 जानी-मानी हस्तियों ने भी एक खुले पत्र में उन्मादी हिंसा पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने वाली हस्तियों को देश का 'स्वयंभू गार्जियन' करार देते उनको जमकर खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि उन लोगों का स्पष्ट राजनीतिक एजेंडा है और वे राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। उन लोगों का राजनीति झुकाव स्पष्ट है। उनका उद्देश्य दुनिया में भारत की छवि खराब करना है। उन्होंने झूठे आरोप लगाए और देश व लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश की है। उनका इस तरह पत्र लिखकर विरोध जताना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि, प्रधानमंत्री के कामकाज के प्रभावशाली तरीके, राष्ट्रीयता और मानवता के खिलाफ है, जो भारतीयता के मूल्यों में निहित है।

**विभिन्न क्षेत्रों की इन हस्तियों ने लिखा खुला पत्र**

सोनल मानसिंह

मालिनी अवस्थी

प्रसून जोशी (सभी फाइल फोटो)

इस पत्र को लिखने वाली 61 प्रमुख हस्तियों में क्लासिकल डांसर और सांसद सोनल मानसिंह, वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट, विश्वभारती शांतिनिकेतन के देवाशीष भट्टाचार्य, अवध विश्वविद्यालय के उपकुलपति मनोज दीक्षित, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के अनिर्बन गांगुली, शिक्षाविद राधारमन चक्रवर्ती, फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर, विवेक अग्निहोत्री, अभिनेता विवेक ओबेरॉय, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनोट, गीतकार प्रसून जोशी, पत्रकार स्वपनदास गुप्ता, अभिनेता विश्वजीत चटर्जी, अभिनेत्री पल्लवी जोशी, गायिका मालिनी अवस्थी तथा फिल्म निर्माता सौकत मुखर्जी शामिल हैं।

पत्र में कहा गया है कि जब आदिवासी और गरीबों को नक्सली निशाना बनाते हैं, कश्मीर में अलगाववादी स्कूल बंद करवाते हैं, अलगाववादी विश्वविद्यालयों में देश के टुकड़े-टुकड़े के नारे लगाते हैं तो तब ये बुद्धिजीवी चुप क्यों रहते हैं। कैराना में हिंदुओं के पलायन पर वे कुछ नहीं बोलते।

उन्होंने पीएम को लिखे पत्र की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, उनका एजेंडा साफ है। वे भारत को तोड़ने वालों के हाथों में खेल रहे हैं। संविधान ने हमें असहमति जताने का हक दिया है, देश के टुकड़े करने वालों का साथ देने का नहीं। बुद्धिजीवियों का यह समूह महिलाओं को समानता का हक दिलाने और तीन तलाक को खत्म करने के मुद्दे पर आगे क्यों नहीं आता। 61 हस्तियों ने कहा, ऐसा लगता है कि उनके लिए देश की एकता व अखंडता का कोई मतलब नहीं है। वैचारिक रूप से वे अलगाववादियों के समर्थक हैं। उनके अंदर विरोध की भावना है जबकि मोदी सरकार 'सबका साथ सबका विकास' के नारे के साथ चल रही है। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं उन्मादी भीड़ की हिंसा की घटनाओं की कई बार आलोचना कर चुके हैं।

**पहले 49 हस्तियों ने क्या लिखा था** : इससे पहले देश के अलग-अलग क्षेत्रों के 49 बुद्धिजीवियों ने प्रधानमंत्री को खुला पत्र लिखकर यह अपील की थी कि मुस्लिमों, दलितों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ उन्मादी भीड़ की हिंसा तत्काल प्रभाव से रुकनी चाहिए। इस पत्र को लिखनेवालों में फिल्म निर्माता अडूर गोपाल कृष्णन, अपर्णा सेन, गायिका शुभा मुद्गल, इतिहासकार रामचंद्र गुहा, अभिनेता सौमित्र चटर्जी, अभिनेत्री रेवती, सामाजिक कार्यकर्ता विनायक सेन, समाजशास्त्री आशीष नंदी, अभिनेत्री कोंकणा सेन, फिल्मकार श्याम बेनेगल, अनुराग कश्यप और मणिरत्नम शामिल थे।

# मॉब लिंचिंग पर केंद्र और राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

▶ **याचिका में मॉब लिंचिंग रोकने के कोर्ट के आदेश का पालन कराने और राज्यों से स्थिति रिपोर्ट लेने की अपील**

सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ के पीट-पीट कर मार डालने (मॉब लिंचिंग) की बढ़ती घटनाओं को रोकने और कोर्ट के गत वर्ष के मॉब लिंचिंग रोकने के आदेश को कड़ाई से लागू करने की अपील पर केंद्र सरकार, मानवाधिकार आयोग और 11 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई व दीपक गुप्ता की पीठ ने ये नोटिस गैर सरकारी संगठन एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किए। कोर्ट ने जिन राज्यों को नोटिस जारी किया है उनके नाम उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मध्य प्रदेश और दिल्ली हैं। इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने देश में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट ने पिछले वर्ष तहसीन पूनावाला के मामले में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए विस्तृत आदेश दिए थे। इसके बावजूद देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं।

याचिका में मांग की गई है कि राज्यों को निर्देश दिया जाए कि वह मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दें। साथ ही यह भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश लागू करने के लिए क्या किया गया। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट संसद से कहे कि वह मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इस अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाए। पिछले वर्ष 17 जुलाई को कोर्ट ने मॉब लिंचिंग की घटनाएं रोकने के लिए राज्यों को तत्काल सख्त कदम उठाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने ऐसी घटनाओं पर विराम लगाने के लिए क्रमवार दिशा-निर्देश जारी किए थे।